# स्पेशल सेफ़्टी बुलेटिन - 3/2025

## रेलवे ट्रैक पर असामान्यता (Abnormal Condition on track)

यदि लोको पायलट और/अथवा गार्ड को ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है, जिससे उनकी गाडी गुजरी है तथा ये विचार करते हैं कि ट्रैक के जिस भाग से उनकी गाडी गुजरी है वह बाद में चलने वाली गाड़ियों के लिए हानिकारक है तो वे निम्नानुसार कार्यवाई करेंगे:

### अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के लिए(सहा. नि. 6.07.01)

- वे अपनी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन क्लीयर किए बिना अगले ब्लॉक स्टेशन में रोकें और उपलब्ध संचार साधनों के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेंगे कि वे डबल लाइन की स्थिति में पीछे से तथा सिंगल लाइन की स्थिति में प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के किसी भी छोर से किसी भी गाडी को आने की अनुमति नहीं देंगे।

- लोको पायलट से घटना का विवरण दर्शाता हुआ लिखित मेमो मिलने तक स्टेशन मास्टर के द्वारा लाइन पर आगे आवागमन की अनुमति नहीं देने को स्टेशन मास्टर ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है इससे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही वे आगे बढ़ेंगे।

- इसके बाद ये स्टेशन में सुविधाजनक स्थान पर पुनः गाड़ी को रोकेंगे ताकि वे स्टेशन मास्टर को लिखित मेमो सौंप सकें।

- ऐसा मेमो प्राप्त करने पर स्टेशन मास्टर को ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर और जूनियर इंजीनियर / सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ), सहायक इंजीनियर, मंडल इंजीनियर, मुख्य कंट्रोलर तथा मंडल परिचालन प्रबंधक के लिए एक संदेश जारी करना चाहिए, जो स्टेशन मास्टर को संबोधित किया गया हो।

- इसके बदले रेल मेन्टेनेन्स मशीन / टावर वैगन / लाइट इंजन अथवा उनकी अनुपस्थिति में इंजीनियरिंग अधिकारियोवाली किसी गाड़ी को ट्रैक के सूचित भाग के पर्याप्त नजदीक में पूरी तरह रोकने (डेड स्टॉप करने) संबंधी प्रभावी सतर्कता आदेश (काशन आर्डर) के साथ रवाना करने की व्यवस्था करेंगे।

- गाड़ी के साथ चलने वाले इंजीनियरिंग अधिकारी ट्रैक की जाँच करेंगे तथा गाडी के गुजरने के लिए वो ट्रेक सुरक्षित है, ऐसी संतुष्टि करने के बाद ही वे गाडी को उस ट्रैक से गुजरने की अनुमति प्रदान करेंगे। स्टेशन मास्टर को वे व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित मेमो जिसे लोको पायलट के माध्यम से भेजा जा सकता है. में किसी भी प्रकार के गति प्रतिबंध तथा ट्रैक की स्थिति के बारे में सूचित करेंगे।

- इंजीनियरिंग अधिकारियों की अनुपस्थिति में स्टेशन मास्टर, लोको पायलट को प्रभावित किलोमीटर के पहले गाडी को डेड स्टॉप करने का अनुदेश देकर किसी गाड़ी को चलाने की अनुमति देंगे और लोको पायलट ट्रैक की हालत केबारे में स्वयं संतुष्टि करने के बाद प्रभावित ट्रैक को 10 किमी प्रति घंटे की गति से पार करेंगे अथवा यदि यह लाइन को गुजरने के लिए असुरक्षित समझे तो वे पीछे के स्टेशन को लौट जाऐंगे।

- यदि लोकोपायलट किसी संदेहास्पद चीज का पता न लगा सके तो उसके बाद जाने वाले गाड़ी को तबतक 10 किमी प्रति घंटे की गति से रवाना करेंगे जब तक इंजीनियरिंग अधिकारियों के द्वारा ट्रैक के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र न दिया गया हो।

- यदि पहले सूचित की गई स्थिति की पुष्टि दूसरे लोको पायलट द्वारा भी की जाती है तो गाड़ियों के आवागमन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक इंजीनियरिंग अधिकारियों के द्वारा ट्रैक को सुरक्षित होने का प्रमाणपत्र न दिया गया हो।

# ऑटोमेटिक सिगनलिंग (सहा. नि. 6.07.02)

- ऑटोमेटिक सिगनलिंगक्षेत्रों में यदि पायलटऔर/अथवा गार्डकिसी भी प्रकार की असामान्यता को अनुभव करते हैं तो लोको पायलट प्रभावित स्थल के किलोमीटर की जाँच करते हुए अपनी गाड़ी तुरंत रोक देंगे और गाड़ी का गार्ड पीछे की ओर स्टॉप हेन्ड सिग्नल प्रदर्शित करेंगे तथा यह जाँच करेंगे कि टेल बार्ड या टेल लाईट ठीक से प्रदर्शित हो रहे हैं ।

- इसके बाद लोको पायलट उपलब्ध संचार साधन के माध्यम से संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यही संदेश दे देंगे ।

- लोको पायलट, स्टेशन मास्टर द्वारा अनुमति दिए जाने तक अपनी गाड़ी को स्टॉर्ट नहीं करेंगे।

- संदेश प्राप्त करने वाले स्टेशन मास्टर, सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को भी इसकी सूचना देंगे। इसके बाद डबल लाइन पर प्रभावित दिशा में अथवा सिंगल लाइन पर आवागमन की सुव्यवस्थित दिशा में प्रभावित सेक्शन के भीतर गाडियों के आवागमन को डिसपेचिंग छोर के स्टेशन मास्टर रोक देगे और प्रभावित गाड़ी के पीछे पहले ही छोड़े जा चुके गाड़ियों (यदि कोई हो) के लोको पायलटों को सेक्शन में ही उनकी गाडियों को रोकने की सलाह/सूचना देगें तथा यहीं पर तब तक इंतजार करने को कहेंगे।

- इसके बदले रेल मेन्टेनेन्स मशीन / टावर वैगन / लाइट इंजन अथवा उनकी अनुपस्थिति में इंजीनियरिंग अधिकारियोवाली किसी गाड़ी को ट्रैक के सूचित भाग के पर्याप्त नजदीक में पूरी तरह रोकने (डेड स्टॉप करने) संबंधी प्रभावी सतर्कता आदेश (काशन आर्डर) के साथ रवाना करने की व्यवस्था करेंगे।

- इसके बदले रेल मेन्टेनेन्स मशीन / टावर वैगन / लाइट इंजन अथवा उनकी अनुपस्थिति में इंजीनियरिंग अधिकारियोवाली किसी गाड़ी को ट्रैक के सूचित भाग के पर्याप्त नजदीक में पूरी तरह रोकने (डेड स्टॉप करने) संबंधी प्रभावी सतर्कता आदेश (काशन आर्डर) के साथ रवाना करने की व्यवस्था करेंगे।

- गाड़ी के साथ चलने वाले इंजीनियरिंग अधिकारी ट्रैक की जाँच करेंगे तथा गाडी के गुजरने के लिए वो ट्रेक सुरक्षित है, ऐसी संतुष्टि करने के बाद ही वे गाडी को उस ट्रैक से गुजरने की अनुमति प्रदान करेंगे। स्टेशन मास्टर को वे व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित मेमो जिसे लोको पायलट के माध्यम से भेजा जा सकता है, में किसी भी प्रकार के गति प्रतिबंध तथा ट्रैक की स्थिति के बारे में सूचित करेंगे।

- इंजीनियरिंग अधिकारियों की अनुपस्थिति में स्टेशन मास्टर, लोको पायलट को प्रभावित किलोमीटर के पहले गाडी को डेड स्टॉप करने का अनुदेश देकर किसी गाड़ी को चलाने की अनुमति देंगे और लोको पायलट ट्रैक की हालत केबारे में स्वयं संतुष्टि करने के बाद प्रभावित ट्रैक को 10 किमी प्रति घंटे की गति से पार करेंगे अथवा यदि यह लाइन को गुजरने के लिए असुरक्षित समझे तो वे पीछे के स्टेशन को लौट जाऐंगे।

- यदि लोकोपायलट किसी संदेहास्पद चीज का पता न लगा सके तो उसके बाद जाने वाले गाड़ी को तबतक 10 किमी प्रति घंटे की गति से रवाना करेंगे जब तक इंजीनियरिंग अधिकारियों के द्वारा ट्रैक के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र न दिया गया हो।

## इंटर्मीडिएट ब्लॉक सिगनलिंग (सहा. नि. 6.07.03)

- स्टेशन तथा आईबीएच के बीच लोको पायलट अपनी गाड़ी को आईबीएच सिगनल पर रोकेंगे और आईबीएच टेलीफ़ोन अथवा उपलब्ध संचार साधनों के माध्यम से संबन्धित स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को संदेश देंगे ।

- यह सुनिश्चित करने के बाद कि डिस्पेचिग छोर के स्टेशन मास्टर के द्वारा संदेश के सार को समझ लिया गया है तथा उस दिशा में गाड़ी के आवागमन को उन्होंने रोक दिया है, वह साइट से स्टॉर्ट करेगा। तथापि यदि ट्रैक की हालत स्टॉर्ट करने की अनुमति न दे रहा हो, तो गाड़ी की सुरक्षा सामान्य एवं सहा.नि. 6.03 के अनुसार की जाएगी। बाकी की कार्यवाई सहा नि 6.07.01 (घ) अथवा (ड.) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

- यदि प्रमाणित गाड़ी का लोको पायलट उपलब्ध संचार साधनों से स्टेशन मास्टर (मास्टरों) को वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं दे पाते हैं तो वे अपनी गाड़ी के गार्ड को प्रभावित स्थान की सुरक्षा सा.नि. 6.03 के अनुसार करने का परामर्श देंगे और सुरक्षात्मक उपाय हो जाने के बाद सभी डिटोनेटरों को रखते हुए गार्ड को री-काल करेंगे। इसके बाद प्रभावित गाड़ी के लोको पायलट, साइट से स्टॉर्ट करेंगे तथा घटना की लिखित जानकारी स्टेशन मास्टर को देने के लिए अगले ब्लॉक स्टेशन में अपनी गाड़ी को रोकेंगे।

- आईबीएस और आगे के स्टेशन के बीच यदि किसी भी असामान्यता अनुभव किया जाता है, तो सहा.नि. 6.07.01 में वर्णित ढंग से कार्यवाई की जाएगी।

**नोट-**

यदि गाड़ी का गार्ड अपनी गाड़ी में कार्य करते समय ट्रैक पर किसी भी असामान्य घटित होने को अनुभव करते हैं, तो उन्हें वॉकी-टॉकी अथवा लोको पायलट एवं गार्ड के बीच उपलब्ध अन्य किसी संचार साधन से लोको पायलट को घटना के बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए, जिसके बाद लोको पायलट सहा.नि. 6.07.01 (क) में उल्लेखित ढंग के अनुसार कार्यवाई करेंगे। लोको पायलट से संपर्क स्थापित न कर पाने पर गार्ड गाड़ी को रोकने की कार्यवाई करेंगे और लोको पायलट को सूचित करेंगे।